Bill No. 8 of 2015

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2015

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- In section 17 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) in the section so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that no Mandi Fee shall be leviable on fruits and vegetables. Instead, the market committee may collect user charges in respect of these articles, for the services provided by the market committee, from the buyer of the produce at such rate as may be specified in the bye-laws.".

3. Amendment of section 37, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- In sub-section (1) of section 37 of the principal Act, after the existing expression "conditions of trading therein" and before the existing punctuation mark ".", the expression "and for specifying the rates of user charges leviable under the proviso to section 17" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Government of India has been insisting that the market fees payable on perishable horticulture commodities (fruits and vegetables) under the provisions of the Agricultural Produce Market Committees Acts and Rules should be abolished with a view to attracting private sector investments for developing agriculture market infrastructure. At the same time, Government of India has suggested that reasonable user charges can be levied on these commodities for use of the market facilities and infrastructure in respect of the perishable horticulture commodities. Government of India has also decided that the assistance for creation of market infrastructure under National Horticulture Mission for projects promoted by the State Government agencies including Agricultural Produce Market Committees will be released only to those States which have abolished market fees on fruits and vegetables.

Section 17 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 confers powers to the market committees to collect market fees. Market fee is payable not only in respect of the produce which is bought and sold within the premises of the market yards/sub-yards but also in respect of any sale/purchase outside the premises of the market yard/sub-yard but within the territorial jurisdiction of the concerned market committee. In Rajasthan the market fee leviable on fruits and vegetables was fixed at 1.60% vide notification dated 27/07/1991. However, in August, 2013 the Mandi Fees on fruits and vegetables was reduced to a nominal rate of 0.01%. This reduction of Mandi Fees to a nominal rate of 0.01% has adversely affected the revenues of the various market committees in the State, especially the seven Market Committees exclusively for fruits and vegetables.

With a view to complying with the views of Government of India for exempting the sale of fruits and vegetables from the levy of market fees but at the same time ensuring that the market committees are able to charge a certain “User Charge” in respect of

the sale of fruits and vegetables within the premises of the market yards or sub-yards it is proposed to make amendments in sections 17 and 37 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 to enable the market committees to collect user charges in respect of these articles, for the services provided by the market committees, from the buyer of the produce at such rates as may be specified in the bye-laws.

After the proposed amendments in the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 no market fees shall be chargeable on the sale of fruits and vegetables. However, the market committees will be able to collect reasonable user charges in respect of the fruits and vegetables which are bought and sold in the market yards or sub-yards.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objects.

Hence the Bill.

प्रभुलाल सैनी,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS ACT, 1961 (Act No. 38 of 1961)

XX XX XX XX XX

17. Power to collect market fees.- The market committee shall collect market fees from the licensees in the prescribed manner on agricultural produce bought or sold by them in the market area at such rate as may be specified by the State Government, by notification in the Official Gazette, subject to a maximum of Rs. 2/- per rupees one hundred worth of agricultural produce.

XX XX XX XX XX

37. Bye-laws.- (1) Subject to any rules made by the State Government under section 36, the market committee may, in respect of the market area under its management, make bye-laws for the regulation of business and conditions of trading therein.

(2) Any bye-law made under this section may provide that any contravention thereof shall on conviction be punishable with fine which may extent to fifty rupees.

(3) No bye-law made under this section shall have effect unless and until it has been sanctioned by the Director of any other officer specially empowered in this behalf by the State Government.

XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2015 का विधेयक सं.8

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम**,** 2015 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 17 का संशोधन.- राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 में,-

(i) अन्त में आये हुए विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित धारा में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु फलों और सब्जियों पर कोई मण्डी फीस उद्गृहीत नहीं की जायेगी। इसके बजाय, मण्डी समिति, इन वस्तुओं के संबंध में, मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सेवाओं के लिए, उपज के क्रेता से ऐसी दर पर जो उप-विधियों में विनिर्दिष्ट की जाये, उपयोक्ता प्रभार संगृहीत कर सकेगी।"।

3. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 37 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "व्यापार करने की शर्तों के लिए" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-विधियां बना सकेगी।" के पूर्व अभिव्यक्ति "और धारा 17 के परन्तुक के अधीन उद्ग्रहणीय उपयोक्ता प्रभारों की दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए" अन्त:स्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार इस बात पर जोर देती रही है कि कृषि उपज मण्डी अधिनियमों और नियमों के उपबंधों के अधीन, विनश्वर उद्यान-कृषि वस्तुओं (फलों और सब्जियों) पर संदेय फीस, कृषि मण्डी अवसंरचना के विकास के लिए प्राईवेट सेक्टर विनिधानों को आकर्षित करने के दृष्टिकोण से, समाप्त की जानी चाहिए। साथ ही, भारत सरकार ने सुझाव दिया है कि विनश्वर उद्यान-कृषि वस्तुओं के संबंध में मण्डी सुविधाओं और अवसंरचना के उपयोग के लिए इन वस्तुओं पर, युक्तियुक्त उपयोक्ता प्रभार उद्गृहीत किये जा सकते हैं। भारत सरकार ने यह भी विनिश्चय किया है कि कृषि उपज मण्डी समितियों को सम्मिलित करते हुए, राज्य सरकार की एजेंसियों के द्वारा प्रोत्साहित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय उद्यान-कृषि मिशन के अधीन मण्डी अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता, केवल उन्हीं राज्यों को दी जायेगी जिन्होंने फलों और सब्जियों पर मण्डी फीस समाप्त कर दी है।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17, मण्डी समितियों को मण्डी फीस संगृहीत करने की शक्ति प्रदत्त करती है। मण्डी फीस, न केवल उस उपज के संबंध में संदेय है, जो मण्डी यार्डों/उप-यार्डों के परिसर के भीतर-भीतर क्रय और विक्रय की जाती है, बल्कि मण्डी यार्ड/उप-यार्ड के परिसर के बाहर किन्तु संबंधित मण्डी समिति की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर-भीतर किये गये किसी विक्रय/क्रय के संबंध में भी संदेय है। राजस्थान में, अधिसूचना, दिनांक 27.07.1991 द्वारा फलों और सब्जियों पर उद्गृहणीय मण्डी फीस 1.60 प्रतिशत नियत की गयी थी। तथापि, अगस्त, 2013 में फलों और सब्जियों पर मण्डी फीस को घटाकर नाममात्र की दर 0.01 प्रतिशत कर दी गयी। मण्डी फीस को घटाकर नाममात्र की दर 0.1 प्रतिशत कर देने से राज्य में, विभिन्न मण्डी समितियों, विशेष रूप से सात मण्डी समितियों जो अनन्य रूप से फलों और सब्जियों के लिए हैं, का राजस्व प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।

फलों और सब्जियों के विक्रय को मण्डी फीस के उद्ग्रहण से छूट देने के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए

किन्तु साथ ही यह सुनिश्चित करते हुए कि मण्डी समितियां, मण्डी यार्डों या उप-यार्डों के परिसरों के भीतर-भीतर फलों और सब्जियों के विक्रय के संबंध में कतिपय "उपयोक्ता प्रभार" प्रभारित करने के लिए समर्थ हों, इन वस्तुओं के संबंध में मण्डी समितियों को, उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के लिए, उपज के क्रेता से ऐसी दरों पर, जो उप-विधियों में विनिर्दिष्ट की जायें, उपयोक्ता प्रभार संगृहीत करने के लिए समर्थ बनाने के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17 और 37 में संशोधन किये जाने प्रस्तावित हैं।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित संशोधनों के पश्चात् फलों और सब्जियों के विक्रय पर कोई मण्डी फीस प्रभार्य नहीं होगी। तथापि, मण्डी समितियां, ऐसे फलों और सब्जियों के संबंध में, जो मण्डी यार्डों या उप-यार्डों में क्रय और विक्रय की जाती हैं, युक्तियुक्त उपयोक्ता प्रभार संगृहीत कर सकेंगी।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

प्रभुलाल सैनी,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं.38) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

17. मण्डी फीस संगृहीत करने की शक्ति.- मण्डी समिति अनुज्ञप्तिधारियों से, उनके द्वारा मण्डी क्षेत्र में क्रीत या विक्रीत कृषि उपज पर ऐसी दर से मण्डी फीस, विहित रीति से संगृहीत करेगी जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये और जो प्रति एक सौ रुपये की कृषि उपज पर अधिकतम 2/- रुपये के अध्यधीन होगी।

XX XX XX XX XX

37. उप-विधियां.- (1) धारा 36 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं भी नियमों के अध्यधीन रहते हुए मण्डी समिति अपने प्रबन्धाधीन मण्डी-क्षेत्र के संबंध में उसमें कारबार के विनियमन के लिए और व्यापार करने की शर्तों के लिए उप-विधियां बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनायी गयी किसी उप-विधि में यह उपबंध किया जा सकेगा कि उसका कोई भी उल्लंघन, दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन बनायी गयी कोई भी उप-विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक निदेशक द्वारा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृति न दे दी गयी हो।

XX XX XX XX XX

2015 का विधेयक सं.8

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

11

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

(प्रभू लाल सैनी, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 8 of 2015

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2015

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRITHVI RAJ,
Special Secretary.

(Prabhu Lal Saini, **Minister-Incharge**)